न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 128/1979

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर		धूड़ाराम पुत्र दलाराम के कायम मुकाम– 1. नथुराम पुत्र धूड़ाराम 2. सादुलाराम पुत्र धूड़ाराम 3. महेन्द्र पुत्र धूड़ाराम जाति सांसी निवासी सूरतगढ़ हाल निवासी सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 13.07.1978 जिसके द्वारा अप्रार्थी स्व0 धूड़ाराम के पक्ष में मौजा अणदे का तला पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी के खसरा नम्बर 658/556 रकबा 12–08 बीघा भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमित धनदे, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 01.09.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 13.07.1978 में अप्रार्थी स्व0 धूड़ाराम के नाम ग्राम सनावड़ा वर्तमान [illegible] ग्राम अणदे का तला के खसरा नम्बर 556 में से रकबा 12–08 [illegible] किस्म बारानी सोयम भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:11 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 20.07.1979 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। गैर सायल दौरान सुनवाई गैर हाजिर रहने पर सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 11.10.1979 के द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध गैर सायल द्वारा राजस्व अपील सं. 51/2013 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.06.2017 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश को अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

2. राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र पुनः रजिस्टर में नम्बर पर कायम होकर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब मय साक्ष्य दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संवत् 2025 में मौजा सनावड़ा के खसरा नम्बर 556 रकबा 12–08 बीघा भूमि धूड़ाराम पुत्र दलाराम जाति सांसी को आवंटन हुई थी मगर आवंटी द्वारा उक्त भूमि के आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त आवंटित भूमि वर्तमान में पटवार मण्डल व ग्रामों के सृजन के कारण पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी के राजस्व ग्राम अणदे का तला में खाता सं. 1 में खसरा नम्बर 658/556 रकबा 12–08 बीघा किस्म बारानी सोयम दर्ज हैं। उक्त भूमि वर्तमान में मौके पर खाली [illegible] धूड़ाराम फोत हो चुका हैं इसके कायम मुकाम पुत्र [illegible], सादुलराम व महेन्द्र है जो वर्तमान में सूतरगढ़ में निवास कर रहे हैं। पूछताछ के आधार पर उनका परिवार सन् 2012–13 से पहले दो–तीन वर्ष के लिये अस्थायी रूप से सनावड़ा बस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

स्टैण्ड के पास जाखड़ों की ढाणी में सराय के पास छपरा बना कर निवास करता था। वर्तमान में पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी में इनका निवास नहीं हैं। आवंटी का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं और न ही उसके द्वारा लगान अदा किया गया हैं इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने से अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावें।

4. अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति वर्ग के निम्न जाति (सांसी जाति) के सदस्य हैं जो गरीब परिवार हैं। अप्रार्थीगण का कृषि कार्य के अलावा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं हैं। अप्रार्थीगण के पास उनके पिता के नाम आवंटित भूमि के अलावा सम्पूर्ण भारतवर्ष में अन्य कोई कृषि भूमि नहीं हैं। अप्रार्थीगण के दादा के नाम वक्त सैटलमेंट ग्राम सनावड़ा हाल ग्राम मेघवालों का तला के खसरा नम्बर 820 रकबा 00–05 बीघा गैर मुमकीन ढाणी की भूमि दर्ज हुई थी जिसमें अप्रार्थीगण का परिवार निवास करते आ रहे थे। इसके पश्चात उक्त आलौच्य आवंटन होने पर ग्राम अणदे का तला के खसरा नम्बर 658/556 रकबा 12–08 बीघा में निवास करते आ रहे है। मौके पर अप्रार्थीगण के सीमेंट की ईंटो के कमरे, छपरा, पानी की टांकली व बाड़ वगैरह बने हुए हैं तथा अप्रार्थीगण वक्त आवंटन से निरन्तर निवास करते आ रहे हैं। हल्का पटवारी द्वारा बिना मौका देखे एवं अप्रार्थीगण को सूचना दिये गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। वास्तविकता यह हैं कि हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर कभी जांच नहीं की गई हैं और न ही मौतबिरान की तस्दीक करवाई गई हैं। अप्रार्थीगण मूल रूप से सनावड़ा तहसील बाड़मेर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ग्राम जाखड़ों की ढाणी में निवास करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण घूमन्तु परिवार के सदस्य रोजगार के लिये इधर–उधर आते–जाते रहते हैं जबकि स्थाई निवास अपनी भूमि मे ही हैं। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा वास्तविकता से विपरीत गलत व मनगढ़त तथ्यों के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:11 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आधार पर रिपोर्ट बनाकर पेश की गई है। अतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन एवं मनगढ़त होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी स्व0 धूड़ाराम व उसके पश्चात उसके वारीसान द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में प्रार्थी का कथन हैं कि मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तथा भूमि मौके पर खाली हैं। अप्रार्थीगण परिवार सहित सूरतगढ़ रहते हैं जो वर्ष 2012–13 से पहले दो–तीन वर्ष तक सनावड़ा बस स्टैण्ड के पास अस्थायी छपरा बनाकर निवास कर रहे थे तथा वर्तमान में पटवार मण्डल जाखड़ों की ढाणी में निवास नहीं करते हैं। प्रार्थी के मूल प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी आवंटी द्वारा भूमि पर काबिज नहीं होना तथा लगान अदा नहीं करने के कारण आवंटन की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त तथ्य के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में अपनी ढाणी व निवास होना अभिकथित किया हैं तथा इसकी ताईद में फोटाग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं किन्तु इसका हल्का पटवारी की रिपोर्ट से सत्यापन नहीं होता हैं। इसके अलावा यदि अप्रार्थीगण का वर्तमान में मौके पर कब्जा–काश्त रहा हैं तो खसरा गिरदावरी में अवश्य अंकन होना चाहिए था किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा इसके संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी धूड़ाराम को आवंटन होने के बाद उसके द्वारा आवंटित भूमि पर निरन्तर कब्जा–काश्त कायम नहीं रखा तथा न ही समय पर लगान अदा किया गया। इस पर प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर ने आवंटी की ओर से आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के लिए राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:11 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निरस्त करने निवेदन किया हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 13.07.1978 को अप्रार्थी स्व0 धूड़ाराम के नाम ग्राम सनावड़ा वर्तमान में नवसृजित ग्राम अणदे का तला के खसरा नम्बर 658/556 रकबा 12–08 बीघा किस्म बारानी सोयम का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:11 IST
Reason: SelfAttested